न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 18/2024(GCMS : 2024/38)

Axis Bank Limited,
Registered Office Address: Axis Bank Limited, "Trishul" 3rd Floor, Opposite Samartheswar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge Ahmedabad -380006
Corporate Office Address: Axis Bank Limited, "Axis House" Bombay Dyeing Mills Compound, C-2, Wadia International Centre, Pandurand Budhakar Marg, Worli, Mumbai, Maharashtra-400025
Jaipur Branch Office Address : Axis Bank Limited, G-9, Mahima Trinity Mall, 3F-24, Swej Farm, New Sanganer Road, Jaipur, Rajasthan
Through Authorized Officer : Parth Madan

बनाम

1. **Mrs. Sona Chhabra** W/o Mr. Rakesh Chhabra **Address** : 1090, Near City Hospital, Aggarsain Nagar, Ward No. 38, Sriganganagar Rajasthan – 335001
2. **Mr. Rakesh Chhabra** S/o Mr. Om Prakash Chhabra **Address** : 1090, Near City Hospital, Aggarsain Nagar, Ward No. 38, Sriganganagar Rajasthan – 335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19 11.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री विपिन सिद्ध ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण सोना छाबड़ा एवं राकेश छाबड़ा को ऋण सुविधा के रूप में 21,68,869/– रूपये (इक्कीस लाख अडसठ हजार आठ सौ उन्नतर मात्र)** का ऋण स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सोना छाबड़ा की **अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 789 में से 30' गुणा 65' में से निस्फ दक्षिण दक्षिणी हिस्सा 15' गुणा 65' है, जो कि पूर्व दिशा की ओर खुलता हुआ है जो चक 5ई छोटी एसक्यू संख्या 10, किल्ला संख्या 23, श्रीगंगानगर, राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका क्षेत्रफल 15' गुणा 65' है (चारों सीमाएं उत्तर में – मकान, दक्षिण में – मकान, पूर्व में – सड़क, पश्चिम में–मकान)** को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 03.08.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 22.08.2023 को 18,95,484/–रूपये ऋण व उसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है, जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 24.08.2023 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.09.2023 से भिजवाये गये है। जिसकी पावती के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणीं द्वारा बैंक की उक्त बकाया**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:47:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक रखी गई अप्रार्थी सोना छाबड़ा की अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 789 में से 30′ गुणा 65′ में से निस्फ दक्षिण दक्षिणी हिस्सा 15′ गुणा 65′ है, जो कि पूर्व दिशा की ओर खुलता हुआ है जो चक 5ई छोटी एसक्यू संख्या 10, किल्ला संख्या 23, श्रीगंगानगर, राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका क्षेत्रफल 15′ गुणा 65′ है (चारों सीमाएं उत्तर में – मकान, दक्षिण में – मकान, पूर्व में – सड़क, पश्चिम में–मकान) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सोना छाबड़ा एवं राकेश छाबड़ा को 21,68,869/– लाख रूपये के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 13.05.2019 को प्रदान की थी, जबकि पत्रावली में उपलब्ध ऋण स्वीकृति पत्र के अनुसार 20,25,144/– लाख रूपये के ऋण की स्वीकृति दिनांक 09.05.2019 को प्रदान की गई है। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सोना छाबड़ा ने अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 789 में से 30′ गुणा 65′ में से निस्फ दक्षिण दक्षिणी हिस्सा 15′ गुणा 65′ है, जो कि पूर्व दिशा की ओर खुलता हुआ है जो चक 5ई छोटी एसक्यू संख्या 10, किल्ला संख्या 23, श्रीगंगानगर, राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका क्षेत्रफल 15′ गुणा 65′ है (चारों सीमाएं उत्तर में – मकान, दक्षिण में – मकान, पूर्व में – सड़क, पश्चिम में–मकान) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.08.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 24.08.2023 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.09.2023 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:47:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर